सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW -RU-IV  दिनांक :23/09/2025

सेवा मे,

**जिलाधिकारी,**
जिला- भदोही,
कलेक्टोरेट कैंपस, सरपतहा, ज्ञानपुर,
भदोही-221304, उत्तर प्रदेश,
ई :मेल-dmsrn@nic.in

विषय: जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, ग्राम – दलापुर , पोस्ट- गोहीलाव , तहसील - औराई, जिला-भदोही , उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

यो. प्र. यादव

**योगेंद्र प्र.यादव / Yogendra P. Yadav**
**उप सचिव / Deputy Secretary**
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

**श्री कमलेश कुमार गोंड,**
जिलाध्यक्ष,
अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, भदोही,
ग्राम दलापुर-, पोस्ट – गोहीलाव
तहसील-औराई - जिला भदोही,
उत्तर प्रदेश-221402

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW**

जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, शाखा जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश से दिनांक 08.10.2023 के अभ्यावेदन के संदर्भ में, दिनांक 04.11.2024 को दोपहर 02:00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

| | | |
|---|---|---|
| सिटिंग की दिनांक | : | 28.08.2025 को 03:00 P.M. |
| सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी | : | अनुलग्नक-I के अनुसार |

भदोही जनपद में गोंड अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड द्वारा आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 08.10.2023 में आरोप लगाया गया है कि शासनादेशों और जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के निर्णयों के बावजूद तहसील प्रशासन गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। विगत वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा चार जिलों (भदोही, चंदौली, संत कबीर नगर और कुशीनगर) को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और शासनादेश के अनुपालन में प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद, तहसीलदार औराई द्वारा कथित रूप से मनमानी की जा रही है और शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप गोंड जाति के लोगों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, और उनके बच्चों का स्कूलों में प्रवेश भी बाधित हो रहा है। अभ्यावेदक ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की है।

2. इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आयोग की ओर से नोटिस दिनांक 20.11.2023, जिलाधिकारी, जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश को भेजा गया। आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, जनपद भदोही ने उत्तर-रिपोर्ट दिनांक 01.10.24 भेजी जिसमें बताया है कि तहसीलदार औराई द्वारा दिनांक 03.04.2024 को प्रस्तुत आख्या, स्थलीय जांच और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि श्री कमलेश कुमार गोंड़, पुत्र स्व. शीतला प्रसाद गोंड़, निवासी ग्राम दलापुर गोहिलाव, तहसील औराई, जनपद भदोही, जाति "कहार" के हैं, जो पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती है।

ऐसी स्थिति में, उनका प्रार्थना पत्र विधिक मानकों के अनुरूप न पाए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

3. मामले में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 10.01.2024, 30.08.2024 और 04.09.2024 को आयोग को पुनः अभ्यावेदन प्रेषित किए गए, जिनमें उन्होंने आयोग से इस प्रकरण पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। अभ्यावेदक ने अपने पत्रों में यह भी आग्रह किया है कि उनके प्रस्तुत किए गए तथ्यों और शिकायतों पर ध्यान देते हुए उचित निर्णय लिया जाए।

4. मामले में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 04.11.2024 को आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में बैठक निर्धारित की गई थी, जिसमें उन्होंने आवश्यक अनुशंसाएँ कीं। इसके बाद प्रार्थी से पुनः संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए और दिनांक 28.08.2025 को आयोग में पुनः मामले की सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें प्रार्थीगण एवं जिलाधिकारी, जनपद भदोही उपस्थित रहे।

5. मामले में जिलाधिकारी से विस्तृत चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनजाति प्रमाण पत्र के आवेदनों की जांच करने वाले अधिकारी/पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की प्रक्रिया में गंभीर कमियाँ हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, और आवेदकों द्वारा लगातार इन रिपोर्टों को लेकर शिकायतें की जा रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाया जाए।

**6. सुनवाई उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:**

I. जनजाति प्रमाण पत्रों के आवेदनों की जांच प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए। उक्त समिति में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ-साथ ग्राम/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष हो।

II. इस प्रकार की शिकायतें उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों से आयोग को प्राप्त हो रही हैं। अतः यह कार्यवृत्त राज्य सरकार को भी प्रेषित किया जाए, ताकि राज्य स्तर से आवश्यक निर्देश जारी कर सभी संबंधित जिलों में ऐसी समितियों का गठन सुनिश्चित किया जा सके और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

III. उपर्युक्त अनुशंसाओं के अनुपालन में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी 30 दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

आशा लकड़ा
17/09/2025

**(डॉ आशा लकड़ा)**
**सदस्य**
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

## NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(फा. सं.: NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW -RU-IV)

### ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 28.08.2025 at 03:00 P.M. in the case जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा जिला-भदोही,उत्तर प्रदेश-221402 दिनांक08.10.2023 काअभ्यावेदन

| Sr. No. | Department | Contact details | Signature |
|---|---|---|---|
| I | National Commission for Scheduled Tribes | | |
| 1. | Dr. Asha Lakra,<br>Hon'ble Member | | In Chair |
| 2. | Shri Yogendra Prasad Yadav,<br>Deputy Secretary | | |
| 3. | Shri Riya,<br>Investigator | | |
| 4. | Shri Rahul Yadav,<br>Consultant (Legal) | | |
| II | जिलाधिकारी, जिला-भदोही | | |
| 1. | शैलेश कुमार | 9650376553 | [signature] |
| 2. | ~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~ | |
| 1. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| IV | शिकायतकर्ता | | |
| 1. | कमलेश कुमार गोंड | 7309834305 | |
| 2. | | | |